कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख , छत्तीसगढ अरण्य भवन, सेक्टर-19, नार्थ ब्लॉक, केपिटल कॉम्पलेक्स, नवा रायपुर, अटल नगर - 492002 (अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक – भू–प्रबंध)

दूरभाषः 0771 — 2512840

ई — मेल: apccf-lm.cg@gov.in

क्र0/भू-प्रबंध/विद्युत/479-147/ 304

रायपुर, दिनांक 5/06/2022

प्रति.

अपर मुख्य सचिव छत्तीसगढ शासन, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग मंत्रालय, महानदी भवन नवा रायपुर, अटल नगर

विषय:

Diversion of 2.37 ha of forest land in favour of CSPTCL for construction of 132 KV DCDS Line from 220/132 KV S/S Parswani to 132/25 KV Railway Tractions S/S Mahasamund Transmission Line under FCA, 1980 in Mahasamund District in the State of Chhattisgarh.

पंजीयन क्रमांक/FP/CG/Trans/ 16561/ 2015

- भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, नागपुर का पत्र क्रमांक संदर्भ :- 1. F.No. FC-I/CH-81/2017-NGP/3565 दिनांक 23.04.2018
  - मुख्य वन संरक्षक, रायपुर वृत्त का पत्र क्रमांक/तक. शा/विद्युत/61325 दिनांक 06.06.2022

विषयांतर्गत भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, नागपुर के संदर्भित पत्र −1 द्वारा महासमुद वन मण्डल अंतर्गत 132 KV DCDS Line from 220/132 KV S/S Parswani to 132/25 KV Railway Tractions S/S Mahasamund तक पारेषण लाईन निर्माण हेतु कुल रकबा 2.37 हे. वन क्षेत्र में गैर वानिकी उपयोग हेतु CSPTCL को वन संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत प्रथम चरण की स्वीकृति प्रदान की गई है।

मुख्य वन संरक्षक रायपुर ने वन मंडलाधिकारी महासमुंद वन मंडल से पालन प्रतिवेदन प्राप्त कर संदर्भित पत्र -2 के माध्यम से प्रतिवेदन अनुशंसा सहित इस कार्यालय को प्रेषित किया है जिसके अनुसार पालन प्रतिवेदन ∽निम्नानुसार है:–

क्र.	अधिरोपित शर्ते	पालन प्रतिवेदन
(i)	Legal status of the diverted forest land shall remain unchanged;	आवेदक संस्थान को शर्त मान्य है। आवेदक संस्थान द्वारा इस आशय का दिया गया वचन पत्र संलग्न है। संलग्नक क्रमांक —01
(ii)	Compensatory afforestation over the degraded forest land, double in extent to the forest land being diverted, shall be raised and maintained by the State Forest Department at the cost of the User Agency;	शर्त अनुसार व्यपवतर्तित क्षेत्र के विरुद्ध बिगड़े दुगने वन क्षेत्र महासमुद वनमंडल के कक्ष क्रमांक आर एफ. 269 में वैकल्पिक वृक्षारोपण का कार्य आवेदक संस्थान के व्यय पर वन विभाग द्वारा किया जावेगा। इस हेतु आवेदक संस्थान द्वारा राशि रू. 34,42,520/— कैम्पा खाते में जमा किया गया है। संलग्नक क्रमांक —02 (ऑनलाईन भुगतान रसीद)
(iii)	Differential GPS map of the area proposed for diversion as well as area identified for raising CA, duly certified by the competent authority in the State	शर्त अनुसार व्यपवर्तन हेतु प्रस्तावित वन क्षेत्र एवं वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित वन क्षेत्र का डी.जी.पी.एस. मानचित्र मय सी.डी. संलग्न है।

<sup>31 -</sup>Letter Power Palan Pritivadan 2021 (1).doc

	Foract Donortment shall be all 'u	11
	Forest Department, shall be submitted	1   सलग्नक क्रमाक —03
	along with compliance of Stage- approval.	<u> </u>
(iv)		
(11)	The User Agency shall transfer the cos of raising and maintaining the	
	compensatory afforestation, at the	, विष 2020–21 में प्रचलित दर अनुसार राशि रू.
	current wage rate, to the State Forest	34,42,520/— कैम्पा खाते में जमा करायी गई है। (पुष्टि
	Department. The scheme may include	मंत्रस्त क्यांक ०० से की ज सकति ३१
	appropriate provision for anticipated	•
	cost increase for works scheduled for	
	subsequent years;	
(v)	The State Government shall charge the	शर्त के पालन में इको क्लास अनुसार वर्तमान प्रचलित दर से
	Net Present Value (NPV) of the forest	
	land being diverted under this proposal	
	from the User Agency as per the orders	14,83,620/— ऑनलाईन पोर्टल के माध्यम से कैम्ं खाते में
	of the Hon'ble Supreme Court of India dated 28.03.2008,24.04.2008 and	। अना प्रश्रावा राष्ट्र है।
·	09.05.2008 in Writ Petition (Civil) No.	
	202/1995 and the guidelines issued by	(3) - 110 11 2 11 42 02 (1 42) 01 (142(11 6)
	this Ministry vide its letter No. 5-	
	3/2007-FC dated 05.02.2009 in this	
	regard;	
(vi)	At the time of payment of the Net	आवेदक संस्थान को शर्त मान्य है। आवेदक संस्थान द्वारा
	Present Value (NPV) at the then	The same of the sa
	prevailing rate, the User Agency shall	इस आशय का दिया गया वचन पत्र संलग्न है।
	furnish an undertaking to pay the	संलग्नक क्रमांक04
	additional amount of NPV, if so	
	determined, as per the final decision of	
(vii)	the Hon'ble Supreme Court of India;  All the funds received from the user	
(11)	agency under the project, except the	आवेदक संस्थान से निम्नानुसार राशि ई-चालान के माध्यम
	funds realized for regeneration/	से एडहॉक कैम्पा खाते में हस्तांतरित की गई है :
	demarcation of safety zone, shall be	1. वैकल्पिक वृक्षारोपण — 3442520/—
	transferred to Ad-hoc CAMPA, through e-challan, in the Saving Bank Account	2. शुद्ध प्रत्याशा मूल्य — १४८३६२०/—
	pertaining to the State concerned;	कुल - 4926140/-
		(पुष्टि संलग्नक क्रमांक—02 से की जा सकती है)
(viii)	No approach road shall be constructed	आवेदक संस्थान को शर्त मान्य है। आवेदक संस्थान द्वारा
	in the forest area for transportation of steel and other material required for the	इस आशय का दिया गया वचन पत्र संलग्न है।
	transmission line. As far as possible the	संलग्नक क्रमांक05
	User Agency shall use the existing road	
	and the proposed RoW for the	
	transportation of the material and in the	
	event of non-availability of such	
	facilities, the User Agency shall	
	transport material manually without construction of any path.	
(ix)	The User Agency shall obtain the	भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय नई दिल्ली के द्वारा
	Environment Clearance as per the	_
	provisions of the Environmental	पर्यावरण प्रभाव आंकलन के संबंध में जारी अधिसूचना दिनांक
	(Protection) Act, 1986, if required;	14.09.2006 के अनुसूची में विद्युत पारेषण लाईन के निर्माण
		कार्य उल्लेखित नही है अतः पर्यावरण संरक्षण अनुमति की
- 37 -I etter P		

	T .	1 24 4 4
		आवश्यकता नहीं है ।
		संलग्नक क्रमांक -06
(x)	No labour camp shall be established on	आवेदक संस्थान को शर्त मान्य है। आवेदक संस्थान द्वारा
	the forest land;	इस आशय का दिया गया वचन पत्र संलग्न है।
		संलग्नक क्रमांक —07
(xi)	The User Agency shall provide	
(A1)	The User Agency shall provide firewood preferably alternate fuels to	आवेदक संस्थान को शर्त मान्य है। आवेदक संस्थान द्वारा
	the labourers and the staff working at	इस आशय का दिया गया वचन पत्र संलग्न है।
	the site so as to avoid any damage and pressure on the nearby forest areas;	संलग्नक क्रमांक -08
(xii)	The boundary of the diverted forest land	आवेदक संस्थान को शर्त मान्य है। आवेदक संस्थान द्वारा
\$1.50	shall be demarcated on ground at the	इस आशय का दिया गया वचन पत्र संलग्न है।
<i>H</i> .	project cost, by erecting four feet high	
	reinforced cement concrete pillars, each inscribed with its serial number, forward	संलग्नक क्रमांक —09
	and back bearing and distance from	
(xiii)	pillar to pillar; The forest land shall not be used for any	आवेदक संस्थान को शर्त मान्य है। आवेदक संस्थान द्वारा
·	purpose other than that specified in the proposal;	इस आशय का दिया गया वचन पत्र संलग्न है।
	proposar,	संलग्नक क्रमांक —10
(xiv)	The User Agency shall ensure that	आवेदक संस्थान को शर्त मान्य है। आवेदक संस्थान द्वारा
	because of this project, no damage is caused to the wildlife available in the	इस आशय का दिया गया वचन पत्र सलग्न है।
	area;	सलग्नक क्रमाक —11
(xv)	Width of right of way for the	आवेदक संस्थान को शर्त मान्य है। आवेदक संस्थान द्वारा
	transmission line shall be limited to 27m;	इस आशय का दिया गया वचन पत्र संलग्न है।
		संलग्नक क्रमांक —12
(xvi)	The layout plan of the proposal shall not	आवेदक संस्थान को शर्त मान्य है। आवेदक संस्थान द्वारा
<b>.</b>	be changed without the prior approval of the Central Government.	इस आशय का दिया गया वचन पत्र संलग्न है।
	are contrar government.	संलग्नक क्रमांक —13
(xvii)	The forest land proposed to be diverted	आवेदक संस्थान को शर्त मान्य है। आवेदक संस्थान द्वारा
	shall under no circumstances be transferred to any other agency,	इस आशय का दिया गया वचन पत्र संलग्न है।
	department or person without prior	संलग्नक क्रमांक —14
(	approval of the Central Government;	
(xviii)	The user agency shall install circuit breakers at suitable places besides	ट्रांसिमशन लाईन के दोनों सिरो के उपयुक्त स्थल पर
	maintain necessary ground clearance to	circuit breakers स्थापित किया जावेगा। आवेदक संस्थान
	prevent electrocution of wild animals;	द्वारा इस आशय का दिया गया वचन पत्र संलग्न है।
		संलग्नक क्रमांक —15
(xix)	No felling of trees shall be done during	व्यपवर्तन हेतु प्रस्तावित क्षेत्र में विद्युत लाईन का निर्माण के
	the construction of transmission line in the forest land.	दौरान वृक्ष विदोहन नहीं किया जावेगा। आवेदक संस्थान
	201 VOLUME	द्वारा इस आशय का दिया गया वचन पत्र संलग्न है।
		संलग्नक क्रमांक —16
L		

/	~;	3
/N	14	Ι
["	/	

	(xx)	To minimize the felling for construction	
		of transmission line, user agency shall comply with the following guidelines:	इस आशय का दिया गया वचन पत्र संलग्न है।
		(a) Below each conductor, width	संलग्नक क्रमांक —17 (a)
		clearance of 3 mts. would be	
		permitted for carrying the tension stringing equipment. The trees on	
İ		such strips may be felled but after	
		stringing work is completed, the	
İ		natural regeneration will be allowed to come up.	
r	-	(b) One outer strip may be left clear to	आवेदक संस्थान को शर्त मान्य है। आवेदक संस्थान द्वारा
		permit maintenance of the	इस आशय का दिया गया वचन पत्र संलग्न है।
		transmission line;	संलग्नक क्रमांक —17 (b)
$\mid$		(c) In the remaining width the right of	आवेदक संस्थान को शर्त मान्य है। आवेदक संस्थान द्वारा
		way felling/pollarding/pruning of	इस आशय का दिया गया वचन पत्र संलग्न है।
		trees will be done with the permission of the local forest officer	संलग्नक क्रमांक —17 (c)
		whenever necessary to maintain the	(6)
	·	electrical clearance, trees shall be	
		allowed to be felled or lopped to the extent required, for preventing	
		electrical hazards by maintaining the	
	٠.	minimum 4.0 meter clearance between conductors and trees. The	
		sag and swing of the conductors are	
		to be kept in view while working out	
		the minimum clearance mentioned as above;	
		(d) User agency in consultation with the	उक्त प्रकरण में व्यपवर्तन हेतु प्रस्तावित वनभूमि क्षेत्र में द्विपथ
		State Forest Department prepare a	कन्डक्टर के नीचे 3 मीटर चौड़ाई में प्रभावित वनभूमि
	:	detailed scheme for creation and maintenance of plantation of dwarf	पथरीला होने के कारण औषधीय वृक्षारोपण किया जाना संभव
		species (preferably medicinal plants)	नहीं है। आवेदक संस्थान द्वारा ट्रांसिमशन लाईन के निर्माण
		in right of way under the transmission line, and provide funds	हेतु कतार पर बौनी प्रजाति के पौधों का (औषधीय) वन विभाग
		for execution of the said scheme to	द्वारा किया जावेगा जिसकी लागत आवेदक संस्थान द्वारा
ľ		the State Forest Department; and	वहन करने का वचन पत्र दिया गया है।
			संलग्नक क्रमांक -17 (d)
F		(e) In case a portion of the transmission	आवेदक संस्थान को शर्त मान्य है। आवेदक संस्थान द्वारा
		lines to be constructed is located in	इस आशय का दिया गया वचन पत्र संलग्न है।
		hilly areas, where adequate clearance is already available, trees shall not	संलग्नक क्रमांक —17 (e)
_	( )	be cut;	
	(xxi)	The user agency in consultation with the State Government shall create and	वनमंडलाधिकारी महासमुद के प्रतिवेदन अनुसार इस शर्त की
		maintain alternate habitat/home for the	आवश्यकता नहीं है। आवेदक संस्थान द्वारा राज्य शासन के
	İ	avifauna, whose nesting trees are to be	परामर्श कर किसी विशेष क्षेत्र या अवधि में पक्षियों के
		cleared in this project. Bird's nests artificially made out of eco-friendly	वैकल्पिक वास/आवास के लिए कृत्रिम घोसला बनाया
		material shall be used in the area,	जावेगा एवं अन्य शर्तों के पालन का वचन पत्र दिया गया है।
L.	24.1-#- "	including forest area and human	
	- Jy -Lenet Pow	rer Palan Pritivadan 2021 (1)	

<b>\</b>		1
	settlements, adjoining the forest area being diverted for the project;	संलग्नक क्रमांक —18
(xxii)	The State Government shall ensure that process of settlement of rights, in terms	आवेदक संस्थान को शर्त मान्य है। आवेदक संस्थान द्वारा
	of the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers	इस आशय का दिया गया वचन पत्र संलग्न है। संलग्नक क्रमांक —19
	(Recognition of Forest Rights) Act,	17. 72. 11. 12
· ·	2006, if any, has been completed in accordance with the Guidelines issued by the MoEF&CC in this regard;	
(xxiii)	The User Agency shall submit six	आवेदक संस्थान को शर्त मान्य है। आवेदक संस्थान द्वारा
	monthly self-compliance reports as on 1st January and 1st July of every year to	इस आशय का दिया गया वचन पत्र संलग्न है।
~~ :	this office as well as to the Nodal Officer of the State:	संलग्नक क्रमांक —20
(xxiv)	The State Government shall monitor	आवेदक संस्थान को शर्त मान्य है। आवेदक संस्थान द्वारा
: `	compliance of conditions of Forest Clearance and shall submit in this regard	इस आशय का दिया गया वचन पत्र संलग्न है।
	yearly report as on 31st December of every year;	संलग्नक क्रमांक —21
(xxv)	Any other condition that the concerned	आवेदक संस्थान को शर्त मान्य है। आवेदक संस्थान द्वारा
	Regional Office of this Ministry may stipulate, from time to time, in the	इस आशय का दिया गया वचन पत्र संलग्न है।
	interest of conservation, protection and	संलग्नक क्रमांक —22
(xxvi)	development of forests & wildlife;  The User Agency and the State	आवेदक संस्थान को शर्त मान्य है। आवेदक संस्थान द्वारा
(.2., 1)	Government shall ensure compliance to	इस आशय का दिया गया वचन पत्र संलग्न है।
:	provisions of the all Acts, Rules,	
	Regulations and Guidelines, for the time being in force, as applicable to the	संलंग्नक क्रमांक —23
	project; and	
(xxvii)	The State Government, if so desire, may	नियमानुसार कार्यवाही की गई है।
	consider the proposal for grant of	
غرز	working permission in accordance with the provisions as contained in the	
	MoEF&CC's Guidelines dated	
	7.05.2015.	

उपरोक्तानुसार पालन प्रतिवेदन आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है। कृपया प्रकरण में अंतिम चरण स्वीकृति हेतु भारत सरकार, एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, रायपुर को लेख करने का कष्ट करें। संलग्न :- संलग्नक 1 से 23 तक (2 प्रतियों में)

अ.प्र.मु.व.स (भू — प्रबंध / व. सं. अ) छत्तीसगढ़

रायपुर, दिनांक 5/06/2022

पृ. क्रमांक/भू—प्रबंध/विद्युत/479—147/ |305 प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेत्:

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (उत्पादन), छत्तीसगढ़, अरण्य भवन, नवा रायपुर।

2. मुख्य वन संरक्षक, रायपुर वृत्त, रायपुर, छत्तीसगढ़।

वन मंडलाधिकारी, महासमुंद वन मंडल, महासमुंद, छत्तीसगढ़।

4. कार्यपालन अभियता, छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत पारेषण कम्पनी मर्यादित, महासमुद।

अ.प्र.मु.व.स (भू — प्रबंध / व. सं. अ) ०/८ छत्तीसगढ़